संख्या– 102/VI-2/2011–2(9)2009

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिंन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक11 मार्च, 2011**

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत आडिटोरियम के निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु संस्कृति विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2297/सं0नि0उ0/दो–3/2010–11 दिनांक 03 जनवरी, 2011, एवं शासनादेश संख्या–116/VI-I/2008–2(12)/2009 दिनांक 24–3–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत आडिटोरियम (प्रेक्षागृह) के निर्माण हेतु जनपद मुख्यालय में 0.15 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु संस्कृति विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु वृक्षों के लगाये जाने, इनके रख–रखाव एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के अद्यावधिक आदेशानुसार एन0पी0वी0 को देय कुल धनराशि ₹ 2,99,503.00 (रू0 दो लाख निन्यानब्बे हजार पांच सौ तीन) मात्र आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– वनभूमि हस्तान्तरण के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को भूमि उपलब्ध कराने की तिथि तक, शासनादेश दिनांक–24–3–08 के द्वारा स्वीकृति धनराशि पर अर्जित समुचति ब्याज राजकोष में जमा करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि किसी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने की दशा में शासन से सम्पर्क किया जाय।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

Budget 10-11

1. प्रभावित वृक्षों के 10 गुने अर्थात 160 वृक्षों के वृक्षारापेण एवं 5 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि	₹ 1,44,695.00
2. प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारापण हेतु धनराशि	₹ 56,258.00
3. मा0 उच्चतम न्यायालय के अद्यावधिक आदेशानुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि	₹ 98,550.00
योगः– (₹ दो लाख निन्यानब्बे हजार पांच सौ तीन मात्र)	₹ 2,99,503.00

5– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11, अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–106, संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण–00–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–747(पी)/XXVII(3)/2010–11 दिनांक–09 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिंन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 102 /VI-2/2011–2(9)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरखण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

Budget 10-11